SE NEC

अनुसूची 21—प्रपत्र संख्या—113

सम्पत्ति—अवभार प्रमाण—पत्र

प्रमाण—पत्र सं० 284 2015 आवेदन संख्या 245 2015

चूँकि भारतीय स्टेट बैंक भा० ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के सम्बंध में निबन्धित संव्यवहारों अवभरों का सविचरण प्रमाण—पत्र दिया जाय। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें) श्री राजेश कुमार, सुमित्रा देवी, अमिता देवी एवं कुलेश्वर साह इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में औरउससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 1985 20 से ता० 18/2/2015 तक तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है।

क्रमांक संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्दस	वर्ष	पृष्ठ
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9
	मौजा सबौर थाना सबौर	27/2/15	खाता	खसरा	रकबा			
			328	789	3728	वर्गकीट		
			533	790				
			328	789	2520	वर्गकीट		
			533	789	1208	वर्गकीट		
			533	790	1210	वर्गकीट		
			533	790	1210	वर्गकीट		
			533	790	1208	वर्गकीट		
			532	790	1208	वर्गकीट		

ACNOWLEDGEMENT OF APPLICATION & FEE 33

Office of the District Sub Registrar.....

Application No. 4362 Date of Application 19/2/15

Name of Applicant राजेश कुमार लोक तलाशी

Purpose of Application

Search/for certified copy Deed no. ..... Year 1985-2015

Office of Registration भागलपुर Fee paid- Searching fee.Rs. 640 Copying Fee. Rs. X Toatal Rs. 640/-

Signature of Record Keeper

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें

(ख) 1 बंधक—पत्र को दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हों

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य वंव्यवहार और अवेभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण–पत्र तैयार किया :–

(हस्ताक्षर) रंजना कुमारी

(पदनाम) मि॰ वर्ग॰ स॰

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण–पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :–

(हस्ताक्षर) अमरी देवी

(पदनाम) मि॰ वर्ग॰ स॰

कार्यालय :– जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर

तारीख :– 27/2/15

मुहर

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

27/2/15

टिप्पणी :–

(1) इन प्रमाण में जो संव्यवहार और [illegible] लिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो वैसी दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजक्शड) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधित अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति वहियों और अनुक्रमणियों (एन्डवाइस) की प्रतिष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणि उनके सामने रख दी जायेगी।

(3) किन्तु चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिये किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(4) और चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाश स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहारों की सत्यापन के प्रमाण–नत्र में दिया गया है इसलिये विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवारी न होगा जिससे उक्त व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है।

पत्रांक–284 दिनांक–27/2/15

शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, भागलपुर के पत्र दिनांक ..... के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

27/2/15